राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsf@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2026–27– दिनांकः– 08.09.2026

ई–निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ,केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 2026–27 जिसमें खरीफ 2026 एवं रबी 2026–27 ,जायद 2027 में कृषि फसलों में विभिन्न कृषि कार्यों को ठेके पर कराने के लिए चकवार ई–निविदाऐं दिनांक 23.09.2026 सुबह 11 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन सुबह 11.30 बजे फार्म अधिकारियों की कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने से पूर्व रूपये 15000/–(रूपये पन्द्रह हजार मात्र) प्रति चक ई–निविदा पोंटल के आनलाइन माध्यम से /ऑनलाईन भूगतान अथवा (खाता संख्या 34032829868, IFSC code SBIN0007774) जो कि, ''नेशनल सीडस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ'' के नाम से सूरतगढ में देय हो धरोहर राशि के रुप में जमा करनी होगी। इसकी विस्तृत जानकारी वेवसाइट www.indiaseeds.com तथा ई–पोर्टल **http//indiaseeds.enivida.com** पर देखी जा सकती है, जिस पर निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

Particulars	Details
Date of issue of NIT	09-09-2026
Tender Document Download Start Date/Time Tender Document Download End Date/Time	09-09-2026 11.00 AM 23-09-2026 11.00 AM
Date and time for submission of online bid	From 09-09-2026 11.00 AM 23-09-2026 11.00 AM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ Sardargarh	23-09-2026 on 11:30 AM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 354.00 (Rs.300+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 15000.00 per Chak
Address for communication.	Head of Farm, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Sardargarh (Raj.)**PHONES:** (01509-238027, 238296 (Office)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh. Sushant Priyadarshi – 8078678415
Regarding deposit of EMD	निविदादाता यदि एक चक हेतू निविदा भरना चाहता है तो रूपये 15000 आनलाइन पोंटल पर पेंमट कर सकता है यदि निविदादाता 2 चको हेतू निविदा मे दरें भरना चाहता है तो रूपये 30000 आनलाइन पोंटल पर पमेंट कर सकता है अथवा फार्म खाते (A/c 34032829868 IFSC SBIN0007774) मे जमा करवा सकता है।

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**
Tel: 011-49606060
Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Copy of Aadhar card	
Copy of Pan Card	
Signed copy of Terms and condition	
Copyt of bank passbook & cheque	
Upload annexure "A" UNDERTAKING ON non judicial Rs. 100/-Stamp paper REGARDING Non BLACKLISTING NON- DEBARMENT	
Copy of Solvency Certificate Issued by any Nationalized/Scheduled commercial Bank of (Minimum Rs.8.0 lac)	

Annexure A

FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON Rs. 100/- NON JUDICIAL Stamp paper WITH REGARD TO BLACKLISTING / NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON- DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,
The Head of Farm,
NSC, CSF SARDARGARH.

1- We hereby confirm and declare that we, M/S………………………………………, have not been blacklisted /De-registered by any Government department / Public SectorUndertaking / Private Sector / or any other agency for which we have Executed /Undertaken the work / Services during the last 5 years.
2- We hereby confirm and declare that we, M/S………………………………………, have not been debarred in any unit of NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED in last 3 years.

.

For…………………………
Authorised Signatory
Date:

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2026–27–   दिनांकः –

कृषि कार्यों के लिए नियम व शर्तें वर्ष 2026–27

1. फार्म द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों के लिए निर्धारित दरों पर कार्य करने के इच्छुक ठेकेदार को चक का पूरा कार्य एक वर्ष के लिए ठेका लेने हेतु चकवार रूपये 15000/–(रूपये पन्द्रह हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन माध्यम जो कि, ''नेशनल सीडस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ''के नाम से सुरतगढ में देय हो जमा करवानी होगा। सफल निविदाता को रूपये 15000/–(रूपये पन्द्रह हजार मात्र) प्रति चक अनुसार सुरक्षा राशि जमा करवानी हेागी सफल निविदादाता की धरोहर राशि को सुरक्षा राशि मे परिर्वर्तित कर दिया जायेगा। एम.एस.एम.ई पार्टीयों को को नियमानुसार छुट दी जायेगी किन्तु कार्य आवंटन होने पर निविदादाता को सुरक्षा राशि रूपये 15000/–(रूपये पन्द्रह हजार मात्र) प्रति चक जमा करवानी होगी। निविदादाता को तकनिकी निविदा मे राष्ट्रीयकृत/अनुसुचित वाणिज्यक बैंक द्वारा जारी कम से कम रूपये 8.0 लाख का सोल्वेन्सी प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करवानी हेागी।
2. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने होगें, इसके लिए पार्टी को रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) नान् ज्यूडिसियल स्टाम्प फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।

कृषि कार्यों मे किये जाने वाले मुख्य्‍ कार्यो का विवरण निम्नानुसार है–

खालों की डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना।

- फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
- खालों की सफाई दोनों किनारों की पटरी सहित सफाई करके घास तथा मिटटी खाले से बाहर डालनी होगी खाले के अन्दर की मिटटी निकालने का कार्य खेतो के लेवल(Depth)के अनुसार करना होगा ।खाले के अन्दर की मिट्टी को बट पर डालनी होगी तथा लेवल करना होगा व पटरी की सफाई भी करनी होगी।

पलेवा व पानी लगाना / सिंचाई करना ।

- फावडों या सम्बधित कोई भी यंत्र का इन्तजाम **स्वयं** ठेकेदार को करना होगा ।
- फसलों में बटों की मरम्मत स्वंय करनी होगी तथा प्रत्येक पटरे के कट बंद करके पानी अलग–अलग पटरे वाईज लगाना होगा।
- सिंचाई करते समय क्यारियों के उस भाग का ध्यान रखना होगा जिससे पानी वहॉ पहुॅच सके व जहॉ कही भी आवश्यक होगा वहॉ ऊॅची टिकरियों पर पानी हत्थे द्वारा उठाकर फेंकना होगा। बुवाई के बाद फार्म ट्रैक्टर से डाली गयी बट के कट को जोडना।

खण्ड़–तीन में बनी हुई डिग्गी से सिंचाई का करना।

- खण्ड–3 में डिग्गियों के माध्यम से स्प्रिंकलर, रैनगन यंत्रो को चलाना/आपरेट करना एवं पलेवा/फसलों में सिचांई करना। फव्वारों से पानी लगाने के लिये मजदूर, फावड़े आदि ठेकेदार के होगें तथा पानी सुचारू रूप से लगाना होगा।

कपास व धान में बट बनाना।

- फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।कपास व धान की बटों को अच्छी तरह से मजबूत बनाना होगा।

यूरिया, डी.ए.पी. एसएसपी व जिप्सम आदि उर्वरकों का छिडकाव करना।

- खाद की मात्रा चक प्रभारी से पूछ कर प्रति एकड के हिसाब से क्रोसिंग में दो बार में छिडकनी होगी ।
- खाद छिडकते समय फसल का कोई भी हिस्सा नही छूटना चाहिए जिससे खाद सामान मात्रा में हर जगह पड़ सके साथ ही उपरोक्त कार्य के लिये आवश्यक यंत्रों की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
- खाद छिडकनें के लिए फार्म के प्लास्टिक के थैलों की झोलियां स्वंय ठेकेदार को बनानी होगी। उपयोग के दौरान खाद की खाली बोरियों को कृषि स्टोर में जमा करवाना होगा।
- बिजाई के समय बीज व खाद को फार्म वाहन में लादने व उतारने के लिए ठेकेदार को पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा खाद भी आवश्यकतानुसार समय पर लोड अनलोड करना होगा।

फसलों में कीटनाशक व खरपतवार नाशक का स्प्रे व डस्टिंग करना

- स्प्रे करनें वाले श्रमिकों को अपने हाथ से व पीठ पर लादकर चलने वाली मशीन का इन्तजाम स्वंय करना होगा ।
- स्प्रे व डसटिंग करनें के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी ।
- एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में खाद एवं दवाई छिडकनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।
- दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

फसलों में रोगिंग करना।

- रोगिंग के समय फसल से अवांछित पौधे उखाडनें होंगे व उन्हे चक प्रभारी के आदेशानुसार रखना होगा ।
- कार्य चक प्रभारी से पूछ कर करना होगा एवं कार्य संतोशजनक नही होने पर पुनः करना होगा अन्यथा कार्य के बदले भुगतान नही किया जायेगा।

चना, उड़द, मूॅग, ग्वार आदि फसलों में कसोलो द्वारा गुडाई करना।

- मजदूरों व कसोलो का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
- फसल की सारी घास अच्छी तरह निकालनी होगी एवं फसल पोधों के बीच में से में घास को निकालना होगा।
- यदि उक्त कार्य संतोशजनक नही किया जाता है तो उस कार्य को पुनः करना होगा अन्यथा बिल का भुगतान नही किया जायेगा।

चना, उड़द व मूॅग या अन्य फसलों में उंटहल/हल से गुड़ाई करना।

- ठेकेदार को **उंटहल** ध्हल का इन्तजाम स्वयं करना होगा।
- गुड़ाई के समय फसल में किस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।
- कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके बिल से कटौती की जायेगी।

धान की नर्सरी आदि डालना।

- धान की नर्सरी की क्यारियों में बीज मापदण्ड के अनुसार बीज का छिड़काव करना होगा। एक ही जगह पर ज्याद मात्रा में बीज छिडकने से जो भी क्षति होगी वह ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

धान की मैट नर्सरी तैयार कर फार्म मशीन से लगवाना आदि ।

- **धान की मैट नर्सरी तैयार करना** : मिट्टी को छानकर मैट नर्सरी की क्यारी हेतु तैयार करना, क्यांरियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, नर्सरी बिजाई के लिये मिश्रण तैयार करना, बीज डालना, पानी लगाना, स्प्रे करना एवं खाद डालना.
- **धान की मैट नर्सरी को शिफ्ट करना व ट्रांसप्लांटर से रोपाई करवाना**ःरोपाई के समय मैट नर्सरी के फर्मे की कटाई करना, कटे हुये फर्मे को फार्म ट्रांसपोर्ट से ट्रांसप्लांटर मशीन तक शिफ्ट करवाना और फार्म ट्रांसप्लांटर म ीन से रोपाई करवाना एवं गैप फिलिंग सहित अन्य सम्बधित कार्य करना

धान की नर्सरी उखाडना व धान लगाना।

- धान की नर्सरी ठेकेदार द्वारा उखाडना तथा व उन्हें चक प्रभारी के बताये गये तुरब्बों में लगाना
- प्रति स्कायर मीटर में 30 पौधों से कम पौधे होनें पर ठेकेदार के बिल से कटौती काट ली जायेगी ।
- पर्याप्त मात्रा में मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा ताकि धान समय पर लगाया जा सके।

धान से घास निकालना।

- घास अच्छी तरह जड से निकालनी होगी ।
- घास को दरांती से नहीं काटे क्योंकि दरांती से कटा हुआ घास पुनः बृध्दि कर लेता है। घास को जड से न निकालें एवं दरांती से काटने पर उसके बिल से कटौती की जायेगी ।
- कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा।

फसल बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना।

- बीजाई के समय फार्म की सीड ड्रील से बीजाई करवाना।

बिजाई से छूटे हुए कोनों की कस्सी से गुडाई करना तथा बिजाई करना।

- जुताई के समय छूटे हुए ऐरिया की गुड़ाई कस्सी से ठेकेदार को करनी होगी।

बिजाई हेतु बीज उपचारित करना।

- बिजाई के समय खरीफ व रबी फसलों की बिजाई के लिए बीज उपचारित करने के लिए पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा बीज उपचारित करते समय किसी श्रमिक को दवा का असर होने पर उसका ईलाज आदि कराना ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। फार्म इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं होगा। मजदूरों को हैण्ड ग्लब्स, मास्क आदि ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा।

फसलों में स्प्रेइंग करते समय माउण्टेड ट्रैक्टर पर श्रमिक लगाना।

- डसटिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी।
- एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में दवाई छिड़कनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।
- दवा के दुरूपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना व बैकर अनलोड करना।

- कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई करने के लिए ठेकेदार को जरूरत के मुताबित श्रमिक लगाकर कार्य कटाई के साथ–साथ कराना होगा। मोपिंग की फसल को फार्म कम्बाईन में झुकाई कर थ्रैसिंग करनी होगी।
- बंकर भरने पर फार्म वाहन में उत्पादन अनलोड करना होगा।

खड़े पेड़ों की सिंगलिग, पत्ती लगना, गर्थ एवं उचाई नापना व नम्बरिंग करना।

- खड़े पेड़ों की सिंगलिंग करना, **दर प्रति पेड–**
- खड़ें पेड़ों में पत्ती लगना, गर्थ एवं उचाई नापना व नम्बरिंग करना।**दर प्रति पेड** ।

अन्य कार्यो के संबंध में :–

- उपरोक्त कार्यो के अलावा जो भी कार्य करवाया जायेगा जो कि निविदा में दिया गया है वह खण्ड प्रभारियों/चक प्रभारियों के दिशा–निदेशानुसार करना होगा। चकों पर खाद बीज दवाई या चक से सम्बधित अन्य सामान लाने–ले जाने हेतु बाहन फार्म द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- उपरोक्त सभी कार्यों के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

3. एक पार्टी को अधिकतम 2 चक ही आवंटित किये जायेगे और निविदादाता ई–निविदा भरते समय मात्र 2 चको हेतू ही ई.एम.डी राशि जमा करवायेगा। विशेष परिस्थितियेां मे फार्म प्रमुख की स्वीकृति पंरात 2 से अधिक चक आवंटित किये जा सकते है।
4. निविदा मे दरे भरते समय निविदादाता को केन्द्र सरकार के प्रचलित लागू न्यूनतम वेतन(Minimum wages) को ध्यान में रखना होगा एंव उक्तानुसार पालन करना होगा। यह निविदादाता की जिम्मेदारी है कि वह अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे।
5. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम–शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया की ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है ।
6. श्रमिक ठेकेदार द्वारा फार्म मे रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा।
7. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य आवंटन के उपरांत कार्य को सुचारू ढंग से नहीं किया जाता है अर्थात लापरवाही से व निम्न गुणवत्ता का कार्य किया जाता है तब उस दशा में उसे फार्म द्वारा एक चेतावनी पत्र दिया जायेगा व साथ ही किये गये निम्न गुणवत्ता वाले कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा । यदि चेतावनी पत्र देने के उपरांत भी कार्य में कोई सुधार नहीं होता है तब उस दशा में उसका ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा व साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व उसे डिबार सूची में भी डाला जा सकता है ।
8. यदि किसी चक पर ठेकेदार का कार्य सही नहीं होने के कारण उसका अनुबंध निरस्त किया जाता है तो उस चक हेतु किसी अन्य उपलब्ध ठेकेदार से अनुबंध कर उन्हीं दरों पर कार्य करवाया जायेगा (पहले आओ पहले पाओ के अनुसार) यदि पूर्व निलंबित ठेकेदार की दरों पर कोई अन्य ठेकेदार उपलब्ध नहीं होता है तब उस दशा में उस चक के निकटवर्ती सामानांतर परिस्थितियों वाले चक हेतु निर्धारित उपलब्ध दरों पर कार्य फार्म द्वारा करवाया जा सकता है, उसी अनुसार अन्य उपलब्ध ठेकेदार को प्रार्थना पत्र देकर श्रीमान फार्म प्रमुख से स्वीकृति लेकर अनुबंध करना होगा व धरोहर राशि भी जमा करवानी होगी ।
9. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में स्प्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होगें। फसलों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा चक

इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।

10. श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बधित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा।
11. संबंधित चक पर अनुबंधित ठेकेदार यदि निविदा में दिए गये कार्यों के अतिरिक्त अनुबंध किये गये चक पर कोई कार्य फार्म द्वारा निर्धारित फ्लैट दरों पर करने का इच्छुक होता है तब उक्त कार्य करने हेतु उसे प्रार्थना पत्र देना होगा व श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति के उपरांत उसी वित्तीय वर्ष में उस चक पर किये गये विभिन्न कृषि कार्यों के अनुबंध व धरोहर राशि के अनुसार कार्य करना होगा द्य उसी वित्तीय वर्ष में उस चक पर किये गये विभिन्न कृषि कार्यों के अनुबंध की नियम व शर्तें उस अतिरिक्त कार्य पर भी लागू होगी ।
12. टेण्डर मे दिये गये नियम एंव शर्ते तथा आवश्यक दिशा निर्देश इस अनुबंध के साथ बाध्य एवं स्वमान्य होंगे, जो कि श्रमिक ठेकेदार को मान्य होगें। श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य करने मे देरी अथवा असमर्थता दिखाने पर उसकीEMD/ Securityराशि जप्त कर ली जावेगी तथा कार्य का ठेका निरस्त किया कर दिया जायेगा।इसके साथ ही यदि सम्बधित ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि फार्म के किसी स्टाफ से अभद्रता करता है अथवा किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो सम्बधित कीEMD/ Securityजब्त करते हुये डीबार करने की कार्यवही की जायेगी जिसके सम्बंध में अंतिम निर्णय फार्म प्रमुख द्वारा लिया जावेगा।
13. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का लेबर फार्म एरिया में पशु नहीं रखेगें यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रदद् किया जा सकता है।
14. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेगें यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के बिलों से काटी जायेगी।
15. कृषि कार्यों को करने के लिए कस्सी, दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
16. फसल की रोपाई, गुड़ाई ,कटाई,खाला सफाई,रोगींग एंव अवांछित पौधे निकालना आदि की जांच का कार्य फार्म प्रमुख द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो फार्म प्रमुख महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।
17. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जावेगी।
18. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक चक का बिल अलग–अलग देना होगा।
19. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल कार्य समाप्ती के (7 दिवस मे) प्रस्तुत करना होगा।एवं बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।
20. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
21. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।
22. यदि फार्म सुपरवाईजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा फार्म प्रमुख महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

23. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।
24. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
25. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नही किया जाता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा।
26. सफल निविदादाता को आवंटित चक में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नही किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नही कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नही होगा।
27. फार्म के किसी कर्मचारी/अधिकारी के रिश्तेदारो द्वारा निविदा में भाग लेना मान्य नही होगा, यदि वह किसी कर्मचारी का रिश्तेदार पाया जाता है तब संबधित ठेकेदार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी व फार्म के नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।
28. कार्य की अवधि वर्ष 2026–27 मे रबी फसलो कटाई पश्चात दिनांक 31.05.2027 तक रहेगी।
29. **Arbitration clause:**यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी दिशा–निर्देश/नियम एंव शर्ते मैने ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लिये है। उपरोक्त सभी नियम एंव शर्ते के अंतर्गत कार्य नही होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ **आवश्यक** कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

प्रभारी (उत्पादन)

निविदादाता के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)

वित्तिय निविदा प्रपत्र

क्रमांक :– सर./कृषि/20/2026–27/ दिनांकः –

नोट – 1. **चक संख्या (42,43,44,45,46,47,48,49,50,52 पीबीएन)** हेतू ही वित्तिय निविदा मे दरें स्वीकार की जायेगी।

2. दरें केन्द्र सरकार की अकुशल कामगार को देय न्युनतम मजदुरी अनुसार होनी चाहिये।

1	कार्य का विवरण		वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तावित दरें खण्ड 4 व खण्ड 5 के चको के लिए दरें (रूपये मे)
1.	खालों का डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना	दर प्रति मीटर	
2.	**प्लेवा व प्रथम पानी लगाना.**		
	(अ) मोगे द्वारा	दर प्रति एकड	
	(ब) स्क्रूपम्प द्वारा	दर प्रति एकड	
	(स) टयूबैल द्वारा	दर प्रति एकड	
3.	**दूसरा व अन्य पानी लगाना**		
	(अ) मोगे द्वारा	दर प्रति एकड़	
	(ब) स्क्रूपम्प द्वारा	दर प्रति एकड़	
	(स) टयूबैल द्वारा	दर प्रति एकड़	
4.	मुरब्बे में नयी बट बनाना	दर प्रति 250 मीटर	
5.	बौंडर हैरो द्वारा बनी बट को कसना	दर प्रति 250 मीटर	
6.	यूरिया व डी.ए.पी. खाद का बुरकाव करना	दर प्रति एकड़	
7.	फसलों में कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना कम से कम 15 ढोलकी प्रति एकड़	दर प्रति एकड़	
8	खरीफ व रबी फसलों में रोगिंग करना		
	(अ) सिंचित	दर प्रति एकड़	
	(ब) असिंचित	दर प्रति एकड़	
9	चने की फसल कटाई इक्ट्ठा करना, कम्बाइन मे झुकाई करना, खलिहान साफ करना		
	(अ) अधिक पैदावार	दर प्रति एकड़	
	(ब) मध्यम पैदावार	दर प्रति एकड़	

	(स) कम पैदावार	दर प्रति एकड़	
10	रबी व खरीफ फसलो की बिजाई हेतु बीज उपचारित करना (चने फसल को छोडकर अन्य फसलो हेतू)	दर प्रति क्विंटल	
11	खाद व बीज फार्म वाहन मे लादना व उतारना		
	(अ) लादना	दर प्रति क्विंटल	
	(ब) उतारना	दर प्रति क्विंटल	
12	धान की नर्सरी बुवाई हेतू बट बनाना, समतल करना, पानी पर पाटा चलाना तथा धान का बीज नर्सरी लिये छिड़काव करना	दर प्रति एकड़	
13	जिप्सम खाद का बुरकाव करना.	दर प्रति एकड	
14	धान की नर्सरी उखाड़ना व धान लगाना प्रति वर्ग मीटर कम से कम 30–35 पौधे		
	(अ) साधन सहित	(दर प्रति एकड़)	
	(ब) साधन रहित	(दर प्रति एकड़)	
15	धान की फसल एवं नर्सरी से घास निकालना		
	(अ) ज्यादा घास निकालना	दर प्रति एकड़।	
	(ब) मध्यम घास निकालना	दर प्रति एकड़।	
	(स) कम घास निकालना	दर प्रति एकड़।	
16	उर्द, मूँग, मोठ, ग्वार, ज्वार, भिण्डी व अन्य खरीफ फसलों में कसोलों द्वारा गुड़ाई करना	दर प्रति एकड़	
17	खरीफ फसल, उर्द, ग्वार, ज्वार, भिण्डी, मोठ, मूँग आदि की कटाई करना व इक्ट्ठा करना/कम्बाइन से झुकाई करना		
	(अ) अधिक पैदावार	दर प्रति एकड़	
	(ब) मध्यम पैदावार	दर प्रति एकड़	
	(स) कम पैदावार	दर प्रति एकड़	
18	विभिन्न फसलों से बथुआ/सरसो व अन्य फसलो पौधों को उखड़वाना	दर प्रति एकड	
19	उर्द, मूँग व अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन की सफाई करना	दर प्रति क्विंटल	
20	उर्द, मूँग व अन्य खरीफ फसलों की ऊँट के हल से गुडाई करना	दर प्रति एकड़	
21	नहर सफाई करना घास निकालना एक पटरी सहित	दर प्रति मीटर	
22	नहर सफाई करना मिट्टी निकालना	दर प्रति मीटर	
23	चने व पालक आदि की फसलों मे ऊँट के हल से गुड़ाई करवाना.	दर प्रति एकड	

24	चने व पालक व मेथी आदि की फसल मे कसोलो द्वारा निराई, गुडाई करवाना		
	(अ) अधिक खरपतवार	(दर प्रति एकड़)	
	(ब) मध्यम खरपतवार	(दर प्रति एकड़)	
	(स) कम खरपतवार	(दर प्रति एकड़)	
25	चने व पालक आदि की फसलों में फॉर्म ट्रेक्टर माउंटिड पान टाईप कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करवाना	दर प्रति एकड़	
26	रबी व खरीफ फसलों में दवाई का छिड़काव ट्रेक्टर द्वारा करवाना टंकी में दवाा इत्यादि मिलाना आदि	दर प्रति एकड़	
27	खरीफ व रबी में दवाई का पाइप व गन से ट्रेक्टर द्वारा करवाना	दर प्रति एकड	
28	खरीफ व रबी मे दवाई का हाथो द्वारा छिड़काव करना	दर प्रति एकड़।	
29	जिंक व यूरिया सह खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव ट्रेक्टर द्वारा करवाना	दर प्रति एकड़	
30	गनी बैग की छटाई करवाना	दर प्रति बैग	
31	नाली क्षैत्र में नई बट बनाना व कराना	प्रति 250 मीटर	
32	रेत मिट्टी से बोरी भरना व लगाना	दर प्रति बैग	
33	खड़े पेड़ो की गर्थ नापना, आवश्यकता नुसार 2 कीले लगाकर लोहे की पलेट लगाना व पलेट पर पेंट से नम्बर अंकित करना एंव रजिस्टर मे इन्ट्री करना।	दर प्रति पेड़	
34	बिजली द्वारा टयूबवैल को चलाना	प्रति शिफ्ट (आवश्कता पडने पर) 1 शिफ्ट –8 घंटे	
35	इंजन पम्प ऑपरेटर डयूटी	प्रति सिफ्ट (आवश्कता पडने पर) 1 शिफ्ट –8 घंटे	
36	रबी, खरीफ व जायद फसलों की बिजाई चना फसल को छोड़कर	दर प्रति एकड	
37	चना फसल की बिजाई हेतू बीज उपचारित करना व बिजाई करना.	दर प्रति एकड	
38	गाजर/मुली का नसर्री से उखाडना, काटना, फार्म ट्रैक्टर ट्राली में लादना व खेत में पौधे लगाना	दर प्रति एकड़।	
39	गाजर/मुली में निराई गुडाई	दर प्रति एकड़	
40	धनिया व मेथी की कटाई, इक्ट्ठा करना फार्म ट्राली में लादना व उतारना	दर प्रति एकड़	
41	अलसी की कटाई, इक्ट्ठा करना फार्म ट्राली में लादना व उतारना	दर प्रति एकड़	
42	सौंफ की कटाई, इक्ट्ठा करना फार्म ट्राली में लादना व उतारना	दर प्रति एकड़	
43	अरहर की कटाई, इक्ट्ठा करना फार्म ट्राली में लादना व उतारना	दर प्रति एकड़	

44	गाजर/मुली में नरसरी में खुरपी से गुडाई करना	दर प्रति एकड़.	
45	गाजर/मुली की कटाई, इक्टठा करना कम्बाईन से झुकाई करना, खलियान साफ करना	दर प्रति एकड.	
46	पिवोट से सिंचाई करना कम से कम 2 रांउड	(दर प्रति एकड़)	
47	पिवोट से सिंचाई करना कम से कम 5 रांउड	(दर प्रति एकड़)	
48	पिवोट से प्लेवा करना कम से कम 5 रांउड	(दर प्रति एकड़)	
49	पिवोट से प्लेवा करना कम से कम 2 रांउड	(दर प्रति एकड़)	
50	अलसी, धनिया एवं सौंफ की फसल में गुड़ाई करना	(दर प्रति एकड़)	
51	बंधो के दोनो तरफ उगी हुई समस्त प्रकार की झाडियों को जड सहित जे.सी.बी/लोडर के माध्यम से उखाडना एंव झाडियों को दुर रखना , गडडे भरना।	दर प्रति मीटर।	
52	रबी एवं खरीफ फसलों में प्राइवेट स्प्रेयर से स्प्रे करना	दर प्रति एकड़	
53	स्प्रिंकलर/रोटेटरी हेड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करना	दर प्रति एकड़	
54	रेनगन इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई/पलेवा करना	दर प्रति एकड़	
55	कटाई उपरांत मोपिंग अप करना	दर प्रति एकड़	
56	पली बनाना दर प्रति पल्ली साइज (8x8मीटर)	दर प्रति पल्ली साइज (8x8 मीटर)	
57	फसलों से पक्षी उड़ाना	दर प्रति शिफ्ट (आवश्कता पडने पर) 1 शिफ्ट –8 घंटे	
58	फसलों से विशेषकर निचले क्षेत्रों से पानी निकालना (drain out करना).	दर प्रति घंटा	
59	बड़ी डिग्गी खण्ड 5 में मोटर चलाने का कार्य	दर प्रति शिफ्ट (आवश्कता पडने पर) 1 शिफ्ट –8 घंटे	

निविदादाता के हस्ताक्षर